



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 547 राँची, सोमवार, 13 भाद्र, 1945 (श०)
4 सितम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

7 जुलाई, 2023

संख्या-5/आरोप-1-443/2014-22047(HRMS)--श्री नन्द किशोर गुप्ता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-789/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, जामताड़ा सदर के विरुद्ध उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक-405/रा०, दिनांक 07.12.2009 द्वारा प्रपत्र-क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का भुगतान नहीं करने, वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन पत्रों को स्वार्थवश लंबित रखने, विवेकानन्द निःशक्त प्रोत्साहन योजना के आवेदन के लंबित रखने, नामांतरण आवेदन पत्र के संधारण में अनियमितता एवं नामान्तरण वाद संख्या-4/2009-10 के माध्यम से ग्राम बोदमा थाना सं०-26 की 2.55 एकड़ बकास्त भूमि का नामान्तरण करते हुए 99 वर्षों हेतु Sub lease की नियम विरुद्ध कार्रवाई करने, ग्राम प्रधानों के मानदेय भुगतान, सैरात बन्दोबस्ती में अनियमितता एवं चौकीदारों के वेतन एवं पेंशन को लंबित रखने संबंधी कुल-07 आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों पर श्री गुप्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-9421, दिनांक-18.09.2014 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-119, दिनांक 16.06.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें श्री गुप्ता के विरुद्ध लगाये गये आरोप संख्या-3 एवं 6 को अप्रमाणित एवं आरोप संख्या-1, 2, 4, 7 को प्रमाणित तथा आरोप सं०-5 को आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

श्री गुप्ता के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत उक्त प्रमाणित आरोपों के आलोक में इनके विरुद्ध तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया, जिसके लिए विभागीय पत्रांक-8844, दिनांक 07.10.2015 द्वारा श्री गुप्ता से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। उक्त के अनुपालन में श्री गुप्ता द्वारा समर्पित जवाब को अस्वीकार करते हुए विभागीय संकल्प सं०-7769, दिनांक 07.09.2016 द्वारा उनके विरुद्ध तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त दण्ड को निरस्त करने हेतु श्री गुप्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में W.P.(S) No. 5932/2016 दायर की गयी। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री गुप्ता द्वारा महामहिम राज्यपाल के समक्ष समर्पित अपील अभ्यावेदन दायर किया गया।

श्री गुप्ता द्वारा अपील आवेदन में मुख्य बिन्दु समर्पित है कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा कोई स्वतंत्र निष्कर्ष नहीं दिया गया है। सिर्फ आरोप, जाँच प्रतिवेदन का जवाब का उद्धरण देते हुए दण्ड आदेश दिनांक-07.09.2016 पारित किया गया है तथा इनका यह भी कहना है कि किसी भी गवाह का परीक्षण आरोप सिद्ध करने हेतु नहीं किया गया है न ही दस्तावेजों का परीक्षण किन्ही गवाह के समक्ष जाँच पदाधिकारी द्वारा किया गया है। श्री गुप्ता से प्राप्त अपील आवेदन की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री गुप्ता द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों को रखा गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय में उनके द्वारा W.P.(S) No. 5932/2016 की याचिका में समर्पित किया गया है। उक्त याचिका में उठाये गये बिन्दुओं पर विभाग द्वारा प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया है। श्री गुप्ता द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन में आरोप को अप्रमाणित करने से संबंधित कोई साक्ष्य या विशेष तथ्य को न प्रस्तुत कर विभागीय संकल्प सं०-7769, दिनांक 07.09.2016 द्वारा अधिरोपित दण्ड के संदर्भ में प्रायः प्रश्न किया गया है।

समीक्षोपरांत, श्री गुप्ता द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-7769, दिनांक 07.09.2016 द्वारा अधिरोपित तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक के दण्ड को यथावत् रखने के प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। तत्पश्चात् उक्त प्रस्ताव को दिनांक 26.06.2023 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृत किया गया है।

अतः श्री नन्द किशोर गुप्ता, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, जामताड़ा सदर के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-7769, दिनांक 07.09.2016 द्वारा अधिरोपित तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक के दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	NAND KISHORE GUPTA BHR/BAS/3686	श्री नन्द किशोर गुप्ता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-789/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, जामताड़ा सदर, सम्प्रति अपर समाहर्ता, धनबाद के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-7769, दिनांक 07.09.2016 द्वारा अधिरोपित तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक के दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
